न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 64/2012/अपील

1 उंकार
2 जगदीश
3 गोपाल
4 मूलचन्द

} पुत्रगण छोटुराम जाति कीर निवासीगण चौमु पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.07.2012 मु.न. 15/2012 अनुवानी सरकार बनाम उंकार द्वारा न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री महेश कुमार जांगिड़

निर्णय **दिनांकः—24.01.2020**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम चौमु पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में कृषि आराजी खसरा नम्बर 952 कुल रकबा 0.16 है0 व खसरा नम्बर 956 रकबा 0.85 है0 अवस्थित है। उक्त भूमियों पर अपीलांट अपने पूर्वजों के जमाने अर्थात आर टी एक्ट लागू होने के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन खातेदारी आर टी एक्ट की धारा 15 के तहत प्राप्त नहीं हुए वर्ष 1999 में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलान्ट अन्य पिछड़ा वर्ग का भूमिहीन कृषक होने तथा आवंटन के पात्र होने के 8 सदस्यी आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर ख. नं. 952, 956 अपीलान्ट के हक अलाटमेंट आदेश जारी किया गया जो आज भी वैध एवं प्रभावी है। राजस्व अधिकारियो की भूल व सहवन से अपीलान्ट के हक मे जारी आदेश का अमल अपीलान्ट की अशिक्षा गरीबी की वजह से नही हुआ। रिकार्ड मे अमल मात्र एक औपचारिकता है प्रार्थीगण/अपीलान्ट उपरोक्त भूमियों का लगान राज्य सरकार को जमा करवाते चले आ रहे है। आवंटन आदेश 1999 का अमल रिकार्ड मे नही होने के कारण हल्का पटवारी चौमु पुरोहितान द्वारा ख.नं. 952 रकबा 16 है0 मेसे 0.01 है0 पर गोबर की खाद व छडिया डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष पेश की जिन्होने धारा 91 एल आर एक्ट का नोटिस अपीलान्ट के विरूद्ध इकजाई नोटिस जारी किया। उक्त नोटिसों पर विधिवत तामील कराये बिना अपीलान्ट को अनुपस्थित बताकर दिनांक 02.07.2012 को निर्णय पारित करते हुये अपीलान्टस को बेदखल करने हेतु आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट ग्राम चौमु पुरोहितान के अन्य पिछड़ा वर्ग के भुमिहीन कृषक है। जिनके हक मे भूमि ख0नं0 952, 956 का आवंटन 1999 मे आदेश के क्रम संख्या 38 पर दर्ज है। इन भूमियो का कब्जा राज्य सरकार के पदाधिकारियो द्वारा सम्यक ढंग से अपीलान्ट को सम्भलाया गया था। इसलिए अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी मे नही

आते। अपीलान्ट सदभावी कृषक है। अपीलांट के हक में जारी आवंटन आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। आवंटन आदेश वर्ष 1999 आज भी वैध एवं प्रभावी है। अपीलांट चारो भाईयों अलग–अलग परिवार होकर अलग–अलग आवास निवास करते है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के नाम पृथक–पृथक नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे इसके विपरित अधीनस्थ न्यायालय ने इकजाई नोटिस जारी किये। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के तहत सूचना व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की विधिवत तामिल करवाये बिना प्रकरण मे निर्णय पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किये जाने से उक्त आदेश दिनांक 02.07.2012 निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2012 में दिनांक 02.07.2012 को पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट के हक में वर्ष 1999 में किये गये आवंटन आदेश का अमल दरामद रिकार्ड में किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्दशित किया जाना प्रार्थनीय है।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलांटान बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांटान द्वारा ग्राम चौमु परोहितान के खसरा नम्बर 952 रकबा 0.16 है0 किस्म बंजड़ भूमि पर छड़िया, गोबर डालकर व पशु बांधकर अतिक्रमण कर रखा है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के मुताबिक विवादग्रस्त आराजियात वर्ष 1999 में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांटान को आवंटित की हुई है। आवंटन शर्तो के मुताबिक आवंटिती व्यक्ति को यथाशीघ्र भूमि पर काश्त कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विवादग्रस्त आराजियात पर काश्त करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई तथ्य अंकित नहीं किया है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि उक्त आवंटन शुदा भूमि का उपयोग काश्त कार्य करने के उपयोग में किया जा रहा है। अतः प्रथम दृष्टा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण उक्त आवंटन का कोई औचित्य नहीं रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के मुताबिक विवादग्रस्त आराजियात की किस्म बंजड़ अंकित है। अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन वर्ष 1999 में होना अंकित किया है। वर्ष 1999 को हुये आवंटन का आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद क्यों नहीं किया गया ? इस सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ग्राम चौमु पुरोहितान के भूमि खसरा नम्बर 952 रकबा 0.16 है0 किस्म बंजड़ में से 0.01 है0 भूमि पर छड़िया डालकर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली हेतु पारित किया है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांटान द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांटान का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म बंजड़ है। बंजड़ भूमि पर अपीलांटान को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः बंजड़ भूमि पर अपीलांटान द्वारा छड़िया, गोबर डालकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक

02.07.2012 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांटान खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/1/20

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2020.01.28 17:28:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: